



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा :सं .NCST/ATY-984/BR/5/2023-APCR

दिनांक : 09.01.2024

सेवा मे,

श्री विनीत कुमार
पुलिस अधीक्षक,
जिला रोहतास -,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय,
जिला रोहतास -, बिहार 821307
Email Id: sp-rohtas-bih@nic.in

विषय: आदिवासी महिला राजकालो देवी उरांव की हत्या के संबंध में श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद का (ज्ञान गोंड)
दिनांक 09.01.2023 का अभ्यावेदन।


संदर्भ : आयोग का नोटिस दिनांक 01.12.2022

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर यह कहने का निर्देश दिया गया है कि आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक ने इस प्रकरण में दिनांक 24.01.2024 को 03.30 बजे आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में मीटिंग तय की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप मामले से संबंधित पूर्ण तथ्यों और सभी प्रासंगिक मूल रिकॉर्ड/दस्तावेजों और की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ उपरोक्त निर्धारित तिथि और समय पर आयोग के माननीय सदस्य, के समक्ष व्यक्तिगत रूप से जांच के लिए उपस्थित हों।

nic

भवदीय

(एच.आर.मीना)
अनुसंधान अधिकारी

Email ID : researchofficer-apcr@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद ज्ञान)गोंड(
निवास स्थान स्टेशन रोड गजाधर गंज -
अम्बेडकर चौक
जिला.बक्सर बिहार -
Mobile No:9152775810